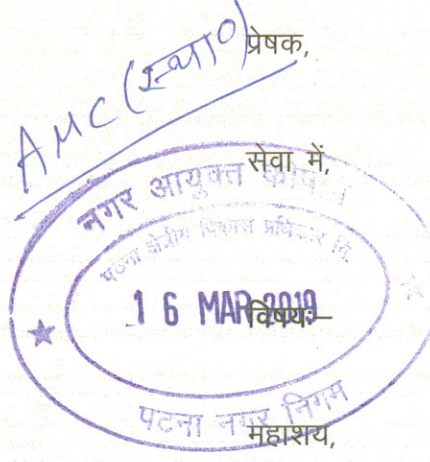


बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग



रामसेवक प्रसाद,
सरकार के अवर सचिव।

नगर आयुक्त,
पटना नगर निगम, पटना।

पटना, दिनांक-07-3-19

श्री अमरेन्द्र कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, पटना नगर निगम, पटना (आई0 डी0 सं0- 5075) का निगरानी स्वच्छता उपलब्ध कराने के संबंध में।

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि आपके पत्रांक-2711 दिनांक-25.02.19 द्वारा श्री अमरेन्द्र कुमार, तत्कालीन सहायक अभियंता, पटना नगर निगम, पटना (आई0 डी0 सं0- 5075) का निगरानी स्वच्छता उपलब्ध कराने के संदर्भ में प्रतिवेदित किया गया है कि निगम में पदाधिकारियों के विरुद्ध निगरानी वाद नहीं चलाया जाता है। निगम में भवनों के नक्शा आदि के विचलन के संबंध में निगरानी वाद संचालित की जाती है, जिससे स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि श्री कुमार के पटना नगर निगम, पटना में सहायक अभियंता के पद पर पदस्थापन अवधि में उनके विरुद्ध कोई आरोप है अथवा नहीं।

उल्लेखनीय है कि जल संसाधन विभाग द्वारा श्री कुमार को ए0सी0पी0/एम0ए0सी0पी0 योजना का लाभ प्रदान करने हेतु निगरानी स्वच्छता की मांग की जा रही है।

अतएव अनुरोध है कि श्री कुमार के विरुद्ध निगम में पदस्थापन अवधि में उनके विरुद्ध कोई आरोप/बकाया इत्यादि है अथवा नहीं के संबंध में प्रतिवेदन विभाग को अविलम्ब उपलब्ध कराने की कृपा की जाय, ताकि अग्रेत्तर कार्रवाई हेतु जल संसाधन विभाग को भेजा जा सके।

विश्वासभाजन,
सरकार के अवर सचिव।